न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 24/2021

उनवान

1. विमला देवी पत्नी बाबू उर्फ बाबूलाल,
2. कमलेश सैनी,
3. मुकेश सैनी पुत्र बाबू उर्फ बाबूलाल,
4. सुनीता पुत्री बाबू उर्फ बाबूलाल

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— 1 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.9.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धोलादांता देराठू प.म. चाट के खाता संख्या 61/50 किता 21 रकबा 3.84 की आराजी वादगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी के मूल खातेदार वादीगण के पिता बाबू उर्फ बाबूलाल व दादा भूरालाल है। राजस्व अभिलनेख में वादी के पिता का नाम बाबूलाल के स्थान पर बाबू व दादा का नाम भूरालाल के स्थान पर भंवरा अंकित कर दिया गया। भूरालाल के चार वारिस छगनलाल, बाबू उर्फ बाबूलाल, लखीचन्द, लालचन्द है। वादीगण के पिता बाबू उर्फ बाबूलाल की मृत्यु हो गयी है। वादीगण द्वारा उक्त वाद अपने पिता व दादा का सही नाम राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु पेश किया गया है। जिसके समर्थन में वादीगण द्वारा शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड पेश किया है। अतः राजस्व अभिलेख में वादीगण के पिता का नाम बाबू उर्फ बाबूलाल पुत्र भूरालाल अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर [कर प्रतिवादी को] नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम [की गयी] :—

1. आया वादग्रस्त आराजी में [वादीगण के पूर्वज का नाम] गलत अंकित होने से [वादी]गण दुरूस्ती के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी विमला का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम धोलादांता देराठू प.म. चाट के खाता संख्या 61/50 किता 21 रकबा 3.84 की आराजी राजस्व अभिलेख में छगनलाल, बाबू, लखीचन्द, लालचन्द पि. भंवरा के नाम दर्ज है। बाबू की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण है। वादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर उनके पति/पिता का नाम नाम बाबूलाल के स्थान पर बाबू व दादा का नाम भूरालाल के स्थान पर भंवरा अंकित कर दिया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत शजरा प्रमाण्ण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम बाबूलाल व दादा का नाम भवंरलाल अंकित है। उक्त त्रुटी सद्भाविक है जिसके दुरूस्त करने से सह खातेदार अथवा अन्य व्यक्तियों के हित प्रीभावित नही होते हैं। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वादीगण आराजी मुतनाजा पर अपने पिता/पति का नाम दुरूस्त करवानें के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम धोलादांता देराठू प.म. चाट के खाता संख्या 61/50 किता 21 रकबा 3.84 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर बाबू पुत्र भंवरा का नाम बाबू उर्फ बाबूलाल पुत्र भंवरलाल अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:31:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

विमला बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 24/2021
पेश करने की दिनांक – 12.02.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई हीरालाल माली अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम धोलादांता देराठू प.म. चाट के खाता संख्या 61/50 किता 21 रकबा 3.84 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर बाबू पुत्र भंवरा का नाम बाबू उर्फ बाबूलाल पुत्र भंवरलाल अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 9 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:51:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद